

<p>लोक हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अशोक जैन महात्मा हाई स्कूल रोड मैन बाजार रानी स्टेशन तहसील रानी जिला पाली. बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 19/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/21 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>28.02.2024</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । अपीलाण्ट अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 03.08.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रानी ने जरिये पत्रांक/ रा.लो.सू.अ. /425 / 2023/38 दिनांक 08.02.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रानी ने अपने पत्रांक 5866 दिनांक 23.01.2024 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 39 दिनांक 08.02.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	